

:: पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ::

दूरभाष क्र. 0755-2570543 फैंक्स न. 0755-2570543

ई-मेल aig_ptri@mppolice.gov.in


पीटीआरआई, जहांगीराबाद भोपाल पिन- 46200

क्रमांक-पुमु/अमनि0/पीटीआरआई/सेल-4/ प्रतिकर यो0 /1028-1/2023, दि0 3.10.2023
प्रति,

1. पुलिस आयुक्त इंदौर/ भोपाल
- ✓ 2. समस्त जिला कलेक्टर म0प्र0।
3. समस्त जिला-पुलिस अधीक्षक, म0प्र0।

विषय:- हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के संबंध में
संदर्भ:- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन संसद मार्ग नई दिल्ली के पत्र
क्रमांक RT-11036/39/2022-MVL, दिनांक 18/09/2023

---00---



उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का फ्रिस्ट करें, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में हिट एण्ड रन प्रकरणों में प्रतिकर (मुआवजा) के लिये सोलेशियम फण्ड के स्थान पर " हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022" लागू की गई है।

सड़क दुर्घटना में हिट एण्ड रन प्रकरणों में आरोपी अज्ञात होता है अतः इस योजना के अंतर्गत मोटरयान दुर्घटना में पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने पर राशि 50 हजार रुपये एवं मृत्यु होने पर राशि 2 लाख रुपये, विधिक प्रतिनिधि पीड़ितों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने/मृत्यु होने पर दावाकर्ता / विधिक प्रतिनिधि द्वारा मुआवजा दावा हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रोफार्मा में संकलित कर जाँच दावा अधिकारी तहसीलदार/एस0डी0एम0 की ओर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- प्रारूप-1 टक्कर मारकर भागना , प्रतिकर निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन हेतु प्रारूप।
- प्रारूप-2 दावा जाँच अधिकारी द्वारा, दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जानेवाली दावा जांच रिपोर्ट।
- प्रारूप-3 में आदेश रिपोर्ट।
- प्रारूप-4 में दावे के प्रतिदावा के लिए वचन बंध।

निम्न दस्तावेजों को प्रकरण में समाहित किया जाना आवश्यक है।

1. दावा कर्ता के बैंक खाते की पास बुक की छायाप्रति।
2. घायल अथवा मृतक के अस्पताल के ईलाज के बिल।
3. घायल अथवा मृतक के पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज।
4. दावेदार की पहचान हेतु पहचान पत्र एवं पते के लिये प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज।
5. पुलिस एफ.आई.आर./एफ.आर. (खात्मा रिपोर्ट)।
6. मृत्यु के मामले में पी एम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र।
7. गंभीर चोट के मामले में एम.एल.सी.रिपोर्ट।

7190
20/10/20


योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु फार्म पूर्ति एवं दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत पीड़ितों के हित में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाना आवश्यक है :-

- उक्त स्कीम के तहत आवेदन तहसीलदार/ दावा जांच अधिकारी प्रकरणों के दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण कर 30 दिवस के अंदर प्रारूप-02 में मय रिपोर्ट के दावा निपटान आयुक्त को भेजेगा।
- दावा निपटान अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर) 15 दिवस की अवधि में प्रारूप-03 अनुसार प्रतिकर की राशि के संबंध में आदेश जारी कर भुगतान हेतु जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को जारी करेगा, आदेश की प्रति संबंधित MACT एवं ट्रांसपोर्ट कमिशनर को भी प्रेषित की जावेगी।
- हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटनाओं के दावों के संबंध में एक जिला स्तरीय समिति परिशिष्ट 02 के अनुसार गठित की जायेगी जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार का कार्य करेगी।

उपरोक्त योजना की जानकारी आम नागरिकों को न होने से अज्ञात वाहन दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला-अस्पताल, समस्त पुलिस थाना, पेट्रोल पंप, टोल नाकों पर, राजमार्गों के मुख्य जंक्शनों आदि पर परिशिष्ट 03 अनुसार होर्डिंग्स/फ्लेक्सी, पोस्टर लगवाये जाकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को योजना का त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न:-

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन की छायाप्रति मय प्रोफार्मा 01 से 04 तक।



(जी.जर्नादन)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
पीटीआरआई, पु0मु0 भोपाल

क्रमांक-पुमु/अमनि0/पीटीआरआई/सेल-4/प्रतिकर यो0/1078-A/2023, दि0 3.10.2023
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जोनल अति.पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक।
3. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक।



(जी.जर्नादन)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
पीटीआरआई, पु0मु0 भोपाल

(5) उप पैरा (3) के अधीन प्रतिकर के संवितरण पर दावा जांच अधिकारी अधिनिर्णीत दावे और संदाय की तारीख का इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप से अभिलेख रखेगा, जिसे पैरा 13 के खंड (ख) के अनुसार तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

24. वार्षिक रिपोर्ट.—साधारण बीमा परिषद् इस स्कीम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को एक प्रति देकर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

[सं. आर टी-11036/64/2019-एमवीएल (भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 20(1)]

टक्कर मार भागना प्रतिकर निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन हेतु प्ररूप

मैं....., पुत्र*/पुत्री*/विधवा*श्री.....

निवासी..... मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हुए कारित गंभीर क्षतियों के लिए प्रतिकर प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करती/करता हूं। मुझे कारित गंभीर क्षतियों की बाबत आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:—

मैं....., पुत्र*/पुत्री*/विधवा*श्री.....

निवासी..... श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/विधवा

..... जो..... पर..... को मोटर यान

दुर्घटना में मर गई/गया है या उसे क्षति कारित हुई है, उसकी मृत्यु/कारित क्षति के लिए प्रतिकर प्रदान करने हेतु विधिक प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करती/करता हूं। दुर्घटना के संबंध में विशिष्टियां और अन्य सूचना नीचे दी गई हैं:—

1. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा की दशा में पति का नाम):
2. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का पता:
3. आयु..... जन्म तारीख.....
4. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का लिंग:
5. घोर उपहृति की दशा में दावाकर्ता की आधार संख्या या विधिक प्रतिनिधि की आधार संख्या:
6. क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के बैंक खाते की पासबुक की प्रति:
7. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
8. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का व्यवसाय:
9. कारित क्षतियों की प्रकृति:
10. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
11. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम और पता जिसने क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की देखभाल की :
12. दावाकर्ता/दावाकर्ताओं का नाम और पता:
13. मृतक के साथ नातेदारी:
14. उस अस्पताल द्वारा दिए गए बिल की प्रति, जिसने अधिनियम की धारा 105 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार प्रदान किया है:
15. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक या सहयोगी समझी जाए।

मैं शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 2

[पैरा 21(2)(ख)]

दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता:
2. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
3. उस पुलिस थाने की विशिष्टियां जिसमें दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
4. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी की विशिष्टियां जिसने मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थी:
5. समन और परीक्षित किए गए व्यक्ति की विशिष्टियां:
6. क्या टक्कर मारकर भागना मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु/क्षति के तथ्य स्थापित हुए हैं या नहीं और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के कारण:
7. प्रतिकर के संदाय के लिए पात्र दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) का नाम और पता:
8. पीड़ित द्वारा नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकम:
9. दावाकर्ता को संदाय के लिए सिफारिश की गई प्रतिकर की रकम (एक से अधिक दावाकर्ता होने की दशा में वह रकम जिसके लिए प्रत्येक दावाकर्ता पात्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएं):
10. कोई अन्य सूचना या अभिलेख जो दावे के निपटान के लिए सुसंगत या उपयोगी है:

हस्ताक्षर,

दावा जांच अधिकारी का पदनाम

मुद्रा:

तारीख:

प्ररूप 3

[पैरा 22(1)]

क्रम संख्या.....

दावा निपटान आयुक्त

जिला.....

आदेश

मैं, टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना जो.....(स्थान का नाम) पर तारीख..... को हुई थी, के परिणामस्वरूप (मृतक का नाम) की मृत्यु/.....(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को हुई घोर उपहति के संबंध में मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी..... या(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को प्रतिकर के रूप मेंरु. (.....रुपये मात्र) मंजूर करता हूं।

दावा निपटान आयुक्त

प्रति:-

1. न्यास और साधारण बीमा परिसर;
2. दावाकर्ता;
3. मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;
4. दावा जांच अधिकारी;
5. सदस्य-सचिव, स्थायी समिति।

प्ररूप 4

[पैरा 20 (1) देखें]

दावे के प्रतिदाय के लिए वचनबंध

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन)

मैं/हममृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति.....के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में वचनबंध करती/करता/करते हैं कि मैं/हम यदि मोटर यान अधिनियम 1988 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के अधीन या अन्यथाकी मृत्यु या घोर उपहति की बाबत प्रतिकर के दावे के बजाय रकम अथवा उसके समाधान के माध्यम से कोई अन्य प्रतिकर या रकम प्रदान किए जाने की दशा में मोटर यान दुर्घटना निधि की टक्कर मार कर भागना प्रतिकर निधि से अधिनियम की धारा 161 के अधीन मुझे/हमें प्रदान किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का प्रतिदाय करूंगी/करूंगा/करेंगे।

मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के

विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।”।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

G.S.R. 163(E).—Whereas the draft scheme for Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents, 2021 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 526 (E), dated the 2nd August, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft scheme have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 161 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the Solatium Scheme, 1989 issued vide number S.O. 440 (E), dated the 12th June, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following scheme, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) This scheme may be called the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2022.

2. Definitions. — In this scheme, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (b) “Account for Insured Vehicles” means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with the scheme framed under section 162;
- (c) “Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident” means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles or hit and run accidents in accordance with the scheme framed under section 162.

No. RT-11036/39/2022-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(MVL Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001



ADG
ADG PT RI

21 SEP 2023

Dated, the 18th September, 2023

To,

- i. District Magistrate / Deputy Commissioner / Collectors of all districts
- ii. Commissioner / Superintendent of Police of all districts

Subject: Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 - regarding.

Madam/Sir,

I am directed to say that the Motor Vehicles Act, 1988, as amended vide Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, enhanced the compensation to be paid in respect of the death of, or grievous hurt to, persons resulting from hit and run motor accidents.

2. Accordingly, this Ministry vide G.S.R. 163(E) dt 25.02.2022 (copy enclosed) had published "Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022", in supersession of the Solatium Scheme, 1989, to provide the following compensation amounts:

- i. Rs. 2,00,000 in case of death of any person resulting from a hit and run motor accident.
- ii. Rs. 50,000 in case of grievous hurt to any person resulting from a hit and run motor accident.

3. The Scheme provides for settlement of claims in a time-bound manner. The Claims Enquiry Officer is required to convey his/her decision within one month of receipt of claim, after which the Claims Settlement Officer is provided with 15 days to sanction the claims and forward the sanction order to General Insurance (GI) Council with intimation to the concerned Motor Accident Claim Tribunal and Transport Commissioner. Subsequently, the transfer of compensation amount to the claimant is to be processed within a period of 15 days by GI Council. An indicative diagram of the procedure (Annexure 1), along with the required Forms are enclosed.

4. Further, a District Level Committee (composition in Annexure 2) is required to be constituted in each district and conduct meetings on a quarterly basis to undertake the following functions related to the implementation of the Scheme:

- i. To evaluate the progress of implementation of this scheme in the concerned District and take corrective steps, wherever necessary;
- ii. To submit a report on quarterly basis to the Standing Committee, including in electronic form and the report shall, inter alia, include

month-wise statistics about the claim applications received, awarded, pending and reasons for pendency

- iii. To keep close liaison with other authorities in the district so as to ensure that this scheme gets adequate publicity;
- iv. To provide guidance or clarifications to concerned authorities and claimants, wherever called for; and
- v. To raise awareness about the rights available to claimants and the provision of compensation under this scheme.

5. In order to facilitate the victims of hit and run motor accidents, it is requested that the Scheme be widely publicized in your respective districts to create awareness among the public. In this regard, other officials of the district administration may also be sensitized. An indicative poster to publicise the scheme at appropriate spots in district hospitals, police stations, DC / SP offices etc., is provided at Annexure 3. States / UTs are encouraged to publicise the scheme in local languages also to ensure wider dissemination.

6. Further, the District Level Committees may be expeditiously constituted and operationalized to undertake regular review of the implementation of the Scheme in your respective districts and to furnish quarterly reports to the Standing Committee on the same.

7. In case of any clarifications, the following nodal officer may please be contacted:

Shri Inderjeet Singh
Secretary General
GI Council
Tel: +91 9004945476
Email: inderjeets@gicouncil.in

This issues with the approval of Competent Authority.

Encls: as above

Yours faithfully,

(S.K. Geeva)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 011 23739074


Email: geeva.sk@nic.in

Copy to:

1. Chief Secretaries of all States/UTs
2. Director Generals of Police of all States / UTs
3. ACS / Principal Secretaries / Secretaries (Transport) of all States / UTs
4. Transport Commissioner of all States / UTs
5. All members of the Standing Committee for Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022
6. All members of the Motor Vehicle Accident Fund Trust

Claim settlement procedure in case of Hit & Run accident victims as per Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022

ANNEXURE




GIC Council administers the various accounts under Motor Vehicle Accident Fund under the supervision of Motor Vehicle Accident Fund Trust
 This diagram is for illustrative purpose only. For more details, please refer Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 notified vide GSR 163 dated 25.02.20

Annexure 2
Composition of the District Level Committee

S. No.	Designation of Member	Role
1.	Claims Settlement Commissioner ^[1]	Chairperson
2.	Claims Enquiry Officer ^[2] , nominated by the State Government	Member
3.	Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police (Head Quarter) of the District	Member
4.	Chief Medical Officer of the District*	Member
5.	The Regional Transport Officer or any other officer of Motor Vehicles Department as nominated by the State Government*	Member
6.	Any member of the public or a voluntary organisation connected with road safety aspects as nominated by the Chairperson*	Member
7.	An officer nominated by the General Insurance Council	Member-Secretary

* The term of office of the members nominated shall be determined by the State Government.

ATTENTION!
GOVERNMENT OF INDIA PROVIDES COMPENSATION
TO THE VICTIMS OF HIT-AND-RUN MOTOR ACCIDENTS
₹ 2 LAKHS IN CASE OF DEATH (to legal representatives of deceased)
₹ 50,000 IN CASE OF GRIEVOUS HURT
SIMPLE & TIME BOUND PROCESS



For any queries, kindly contact:
<Name & Contact Details of District level officers nominated by GI Council>
For more information and Forms, log on to:
<https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/>